

107

संख्या- ५५०/ 2015/242/69-1-14-15 (मोब0-83)/2014

प्राचीक

एच०पी० सिंह

विशेष संचिव

३०प्र० शासन।

सेवा में

लिंगायक

राज्य नगरीय विकास अभिकरण

३०प्र०, लखनऊ।

## नगरीय रोजगार एवं गरीबी

## उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

विषय वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों की मतिन बस्तियों में इंटरलाकिंग, जल निकासी, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना प्रोजेक्ट अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-3958/56/10/छ./विविध/तक0/2012-13, दिनांक 14 जनवरी, 2015 व संख्या-3904/36/10/छ./विविध/म0ब0-अ0स0/हरदोई-2013-14, दिनांक 13 जनवरी, 2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शहरी क्षेत्रों की मलिन बस्तियों में इण्टरलाकिंग, जल निकासी, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-83 में जनपद-मेरठ की न0निगम मेरठ की 04 परियोजनाओं व जनपद-हरदोई की न0पा0प0, हरदोई की 06 परियोजनाओं अर्थात् उक्त दोनों जनपदों की विभिन्न अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य से सम्बन्धित अलग-अलग 10 परियोजनाओं हेतु कुल ₹0 340.94 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति व उक्त के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अर्थात् संलग्न तालिका के स्तम्भ-6 में अंकित ₹0 170.47 लाख (रुपये एक करोड़ सत्तर लाख सेंतालिस हजार मात्र) की धनराशि की, श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- उक्त धनराशि प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों विषयक शासनादेश संख्या-32/69-1-13-14(31)/2012टीसी, दिनांक 16 जनवरी, 2013 में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवस्था का पूर्णरूपेण अनुपालन करते हुए की जायेगी।
  - प्रश्नगत परियोजनाओं में प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रयोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
  - उक्त धनराशि शासन द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य की विशिष्टियाँ, मानक व मुण्वत्ता आदि को सुनिश्चित करते हुए कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायेंगे कि वे उपलब्ध धनराशि से ही निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाये तथा उनका लाभ सम्बन्धित स्थानीय निवासियों को मिल सके।
  - उक्त धनराशि यथा समय सम्बन्धित इडा (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। सम्बन्धित इडा (निर्माण इकाई) द्वारा प्रश्नगत परियोजना को जिला स्तरीय शासी निकाय से अनुमोदित कराने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।


निम्नण काय प्रारम्भ  
प्रीतापारीप्रीति भवते, प्री

क्रमांक.....2

✓  
777115




16. उक्त योजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि में से उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी जितनी 31 मार्च, 2016 तक व्यय हो सके।
2. उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष-"2217-शहरी विकास-आयोजनागत-04-गंदी बस्तियों का विकास-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-04-शहरी क्षेत्रों की मलिन बस्तियों में सी0सी0रोड/इंटरलाकिंग नाली आदि सामान्य सुविधाओं के निर्माण कार्य-00-35-पूजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामे डाता जायेगा।
3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय जाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 तथा समय-समय पर प्राप्त निर्देशों के तहत जारी किये जा रहे हैं।
- संलग्नक-यथोक्त।

अवदीय,  
  
(एच0पी0 सिंह)  
विशेष सचिव।

संख्या-5/2015/242(1)/69-1-2014, तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, 30प्र0,20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, 30प्र0, छठवां तल, संगम प्लैस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
3. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, 30प्र0 शासन।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, मेरठ/हरदोई।
5. मुख्य कोषधाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (ई-8) अनुभाग, 30प्र0 शासन।
7. नियोजन अनुभाग-4, 30प्र0 शासन।
8. समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, 30प्र0 शासन।
9. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र0, लखनऊ।
10. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेब साइट पर अपलोड कराने हेतु।
11. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से,  
  
(एच0पी0 सिंह)  
विशेष सचिव।

शासनादेश संख्या-570/2015/242/69-1-14-83(म0ब0-83)/2014, दिनांक 27 जून, 2015 का सलगनक।

(घनराशि लाख रु0 में)

क्र0 सं0	जनपट का नाम	निकाय/ नगर पंचायत का नाम।	बस्ती/वार्ड का नाम/कार्य का विवरण।	परियोजना की कुल लागत।	प्रथम किश्त (50 प्रतिशत) के रूप में स्वीकृत योग्य घनराशि।
1	2	3	4	5	6
1.	मेरठ	न0निगम, मेरठ	वार्ड नं0-09 फाजलपुर में विनोद की दुकान से रायल इण्डस्ट्रीज तक, संजय के घर से यादव की गैस एजेंसी तक, सनी मेडिकल स्टोर से राजकुमार के घर तक, उदयवीर यादव के घर सतबीर के घर तक, राजेश कुमार के घर से आदर्श इण्टरकालेज तक एवं सत्यवती के घर से आगेवीर के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	31.01	15.505
2.	मेरठ	न0निगम, मेरठ	वार्ड नं0-09 फाजलपुर में राजबाला के मकान से चन्द्रभूषण के घर तक, आदर्श इण्टरकालेज से दुर्गा प्रसाद के घर तक, अनिल कुमार के मकान से राजकुमार के मकान तक, राजकुमार के मकान से मामचन्द्र के मकान तक, राजकुमार के मकान से शकीला बानों के मकान तक, शकीला बानों के मकान से दुर्गा प्रसाद के मकान तक, सलीम के मकान से धर्मवीर के मकान तक, नेशनल वैलिंग के दुकान से ढाका के मकान तक एवं त्रिजेन्द्र के मकान से अनूप सिंह के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	35.02	17.51
3.	मेरठ	न0निगम, मेरठ	वार्ड नं0-09 फाजलपुर में देवेन्द्र के मकान से विनोद के मकान तक, दुद्ध प्रकाश के मकान से मलिक इलेक्ट्रिकल की दुकान तक, पाल डेरी की दुकान से पाल स्वीट्स व मेन रोहटा रोड तक, किरन पाल के मकान से भगवान शर्मा के मकान तक, चन्द्रपाल के मकान से मेन रोहटा रोड तक, राणा जी के मकान कृष्ण डेरी तक, महकार सिंह के घर से दुर्गा साड़ी सेंटर तक, महेन्द्र सिंह के मकान से बाबू गिरी के मकान तक एवं सुबेदार के मकान से राहुल की दुकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	136.13	68.065
4.	मेरठ	न0निगम, मेरठ	वार्ड नं0-09 फाजलपुर में द्विरी सिंह के मकान से सविता देवी के मकान तक, वकील के मकान से राहुल की दुकान तक, संजीव के मकान वाली बन्द गली में, सुनील दत्त के मकान से सुबेदार के मकान तक एवं सुबेदार के मकान से ईश्वर पाल के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	118.08	59.04

-2-

5.	हरदोई	न0पा0प0, हरदोई	वार्ड न0-05 नो0 लालतापुरवा में रामभर्जन के मकान से कौशल कुमार के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	7.38	3.69
6.	हरदोई	न0पा0प0, हरदोई	वार्ड न0-05 नो0 लालतापुरवा में बलभद्र वर्मा के मकान से हरदेव राजा के पूजनीय स्थान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	2.67	1.335
7.	हरदोई	न0पा0प0, हरदोई	वार्ड न0-05 नो0 लालतापुरवा में रामसनेही वर्मा के मकान से स्व0 मुन्ना तथा मुन्ना लाल वर्मा के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	2.20	1.10
8.	हरदोई	न0पा0प0, हरदोई	वार्ड न0-05 नो0 ज्योतिनगर में पेनीपुरवा में खुशीराम के मकान से शारदा कुमार के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	2.88	1.44
9.	हरदोई	न0पा0प0, हरदोई	वार्ड न0-05 नो0 ज्योतिनगर में पेनीपुरवा में रामनाथ वर्मा के मकान से गुड़दू के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	3.00	1.150
10.	हरदोई	न0पा0प0, हरदोई	वार्ड न0-05 नो0 महोलिया शिवपार में श्रीपाल के मकान से नारायण के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	2.57	1.285
गोम				340.94	170.47

(रूपये एक करोड़ सत्तर लाख सौतालिस हजार भात्र)।

*lpsm*  
(एच०पी० सिंह)  
विशेष सचिव।